सं0सं0–1/विविध–16/2019– 31(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 28/01/2025

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 69,00,00,000/–(रुपये उनहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या 311(1), दिनांक–07.03.2019 द्वारा दी गयी। इस केन्द्र प्रायोजित योजनातर्गत केन्द्राश मद आवटित कुल राशि रू० 150.00 करोड एव समानुपातिक राज्याश मद की राशि रू० 100.00 करोड़ अर्थात् कुल राशि रू० 250.00 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

2– भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक केन्दाश एव राज्याश मद मे प्राप्त आवंटनादेश एवं अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एव निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवटित राशि की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०सं०	विभागीय राज्यादेश स०	केन्द्राश	राज्याश
1	स०–1049(1), दिनाक–09.12.2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	स०–56(7), दिनाक–03.08.2021	10,00,00,000	6,66,66,600
3	स०–334(7), दिनाक–28.11.2023	89,75,00,000	25,00,00,000
4	स०–457(7), दिनाक–30.01.2024		35,20,00,000
5	स०–223(7), दिनाक–18.10.2024		26,20,00,000
	कुल आवटित राशि	**1,50,00,00,000**	**99,99,91,100**
	कुल राशि (केन्द्रांश + राज्याश)	**2,49,99,91,100**	

3– इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है।

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0 एव दिनांक
1	2024–25	45,00,00,000	स0– 589(7), दिनाक–28.03.2025
2	2025–26	6,00,00,000	स0– 279(7), दिनाक–02.09.2025
3	2025–26	10,00,00,000	स0– 382(7), दिनाक–31.10.2025
	कुल–	**61,00,00,000**	

4– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त F.No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनाक–22.07.2025, पत्राक–F No.44(1)/PF-S/202... Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्राक–580/वि0, दिनाक–30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य ... हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे "Scheme for Special

Assistance to State for Capital Investment for 2025—26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप मे रु0 75.00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु विमुक्त की गयी है। विदित हो कि उक्त योजनान्तर्गत "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025—26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि रु0 75.00 करोड के विरूद्ध रु० 6.00 करोड के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश स०—279(7), दिनांक—02.09.2025 दी जा चुकी है।

5— उक्त परिप्रेक्ष्य मे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल रु0 515,00,00,000/—(रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025—26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप मे विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रु0 69,00,00,000/—(रुपये उनहत्तर करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या—311(1), दिनांक—07.03.2019 मे निहित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

7— राज्य योजना मद से इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप—शीर्ष—0101—मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड—20—4210037890101 अतर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित राशि/द्वितीय अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8— राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9— वित्त विभागीय पत्र संख्या—632वि०, दिनाक—04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या—10792/वि०, दिनाक—06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूजीगत परियोजनाओ से सबधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10— वित्त विभागीय पत्रांक—432/वि०, दिनाक—29.03.2023 एव पत्रांक—580/वि०, दिनांक—30.07.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक—06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08, 2199/वि0, दिनांक—24.03.2017, 3758/वि0, दिनाक—31.05.2017 एव 12888/वि0, दिनांक—03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

12— इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13— प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या—स0स0—1/विविध—16/2019 के पृष्ठ 74/टि० मे प्राप्त है।

15– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश

28.1.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–1/विविध–16/2019– 31 (7A)/**स्वा0,** **पटना, दिनांक–** 28/01/ **2026**

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.1.26

सरकार के अपर सचिव।